निबंधन सं0 पी0 टी0—40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

1 चैत्र 1928 (श0)

(सं0 पटना 240) पटना, बृहस्पतिवार 22 मार्च, 2007

मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग

अधिसूचना

20 मार्च, 2007

संख्या—मं0मं0-01/आर0—02/2007—602—भारत संविधान के अनुच्छेद—166 के खंड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग की अधिसूचना संख्या—जी0एस0आर0—03 दिनांक 16 जनवरी 1979 द्वारा बनाई गई बिहार कार्यपालिका नियमावली 1979 में निम्नलिखित संशोधन करते है :

संशोधन

1) उक्त नियमावली की प्रथम अनुसूची में उल्लिखित विभागों की सूची तथा सचिवालय विभागों के बीच कार्यों का वर्गीकरण और वितरण संलग्न सूची के अनुसार प्रतिस्थापित की जाती है।

2) उक्त नियमावली का नियम–6(ii) के अन्तर्गत मंत्रियों के बीच कार्य का बंटवारा नियमावली के द्वितीय अनुसूची में प्रतिस्थापित समझा जाएगा।

3) उक्त नियमावली के भाग–3 "कार्य का विभाग द्वारा निबटाव" शीर्ष के नियम–21 निम्न प्रकार से प्रतिस्थापित किया जाता है –

"किसी अन्य नियम द्वारा अन्यथा उपबंधित स्थिति को छोड़कर, सभी मामले साधारणतः प्रभारी मंत्री एवं उनके प्राधिकार से निपटाए जायेगें, किन्तु इस नियमावली की अनुसूची–4 में दी गई तालिका में वर्णित मामलों का निपटाव तालिका में वर्णित प्राधिकारी स्तर पर किया जा सकेगा। उपर्युक्त के अतिरिक्त, अन्य मामलों के निपटाव के लिए भी प्रभारी मंत्री के निर्देश पर स्थायी आदेश द्वारा यथोचित व्यवस्था की जा सकेगी। ऐसे सभी आदेशों की प्रतियाँ राज्यपाल और मुख्यमंत्री को भी भेजी जायेंगी।"

4) नियम–21 के अधीन अनुसूची–4 अलग से संलग्न है, जो कार्यपालिका नियमावली का भाग होगा।

5) नियम 22(2) से लेकर नियम–22(5) तक में दिये गये प्रावधानों तथा नियम 32 (क) (ix) (i) एवं 32 (ix) (ii) में उल्लिखित प्रावधानों को समेमित कर उन्हें निम्न प्रकार से संशोधित किया जाता है :–

"22(3) राजपत्रित राज्य सेवाओं के बेसिक ग्रेड में कार्यरत पदाधिकारियों का स्थानान्तरण एवं पदस्थापन, विभागीय मंत्री द्वारा किया जा सकेगा।

टिप्पणी : बेसिक ग्रेड से अभिप्राय बिहार प्रशासनिक सेवा में कार्यरत उपसमाहर्त्ता, बिहार आरक्षी सेवा में कार्यरत आरक्षी उपाधीक्षक, बिहार अभियंत्रण सेवा में कार्यरत सहायक अभियंता आदि से है।"

"22(4) राजपत्रित राज्य सेवाओं के बेसिक ग्रेड से ऊपर के दो ग्रेड्स में कार्यरत पदाधिकारियों का स्थानान्तरण एवं पदस्थापन, विभागीय मंत्री द्वारा किया जा सकेगा।"

टिप्पणी : बेसिक ग्रेड से ऊपर के दो ग्रेड्स में कार्यरत पदाधिकारियों से अभिप्राय बिहार प्रशासनिक सेवा में कार्यरत अनुमंडल पदाधिकारी तथा अपर जिला दण्डाधिकारी स्तर के पदाधिकारी, बिहार आरक्षी सेवा में कार्यरत अनुमंडल आरक्षी उपधीक्षक तथा अपर आरक्षी अधीक्षक स्तर के पदाधिकारी, बिहार अभियंत्रण सेवा में कार्यरत कार्यपालक अभियंता तथा अधीक्षण अभियंता स्तर के पदाधिकारियों आदि से है।"

"22(5) उपर्युक्त नियम 22(3) एवं 22(4) में उल्लिखित पदाधिकारियों से भिन्न, राज्य सेवा के वरीयतम ग्रेड्स में कार्यरत पदाधिकारियों के संबंध में स्थानान्तरण एवं पदस्थापन के प्रस्ताव, विभागीय मंत्री

के विचारार्थ उपस्थापित किये जायेंगे, किन्तु आदेश निकालने के पूर्व उन्हें सम्बद्ध विभाग के सचिव/प्रधान सचिव द्वारा, मुख्य सचिव के मार्फत, मुख्यमंत्री के आदेशार्थ उपस्थापित किया जायेगा।"

टिप्पणी : वरीयतम ग्रेड्स में कार्यरत अन्य पदाधिकारियों से अभिप्राय विभागाध्यक्ष, मुख्य अभियंता, निदेशक, अभियंता–प्रमुख आदि के स्तर के पदाधिकारियों से है।"

"22(5)(i) : विभागाध्यक्षों की नियुक्ति या विभागाध्यक्षों के पदों पर प्रोन्नति के सभी प्रस्ताव तथा अखिल भारतीय सेवाओं के पदाधिकारियों के स्थानान्तरण एवं पदस्थापन के प्रस्ताव, विभागीय सचिव, विशेष सचिव, अपर सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव एवं अवर सचिव के पदस्थापन के प्रस्ताव, प्रभारी मंत्री द्वारा विचारित किये जाने के बाद, किन्तु आदेश निकालने के पूर्व, सम्बद्ध विभाग के सचिव/प्रधान सचिव द्वारा, मुख्य सचिव के मार्फत, मुख्यमंत्री के आदेशार्थ, उपस्थापित किये जायेंगे।"

"22(5)(ii) : ऐसे पर्यवेक्षकीय स्तर के सरकारी सेवक, जो राज्य सेवाओं के बेसिक ग्रेड से निम्नतर ग्रेड्स में कार्यरत है, का स्थानान्तरण एवं पदस्थापन, संबंधित विभागाध्यक्ष द्वारा किया जा सकेगा। कार्यालयों के प्रधान भी इस कोटि के सेवकों का स्थानान्तरण एवं पदस्थापन प्रत्यायोजित शक्तियों के अधीन कर सकेंगे।"

"टिप्पणी – इस श्रेणी अन्तर्गत आने वाले पर्यवेक्षकीय कर्मियों से अभिप्राय कनीय अभियंता, आपूर्ति निरीक्षक, आरक्षी निरीक्षक, ग्राम पंचायत पर्यवेक्षक, प्रखण्ड कृषि विस्तार पदाधिकारी, प्रखण्ड शिक्षा विस्तार पदाधिकारी आदि से है।"

6) कार्यपालिका नियमावली के नियम–30 को निम्नलिखित रूप से संशोधित किया जाता है :–

"रोजमर्रे के अथवा मामूली ढंग के पत्रों से भिन्न, भारत सरकार से नीतिगत अथवा जन महत्व से संबंधित सभी सरकारी पत्रादि प्राप्त होते ही (जिनमें प्रधानमंत्री और केन्द्रीय मंत्रियों से प्राप्त होने वाले पत्र भी शामिल हैं), उन्हें तुरन्त सम्बद्ध प्रधान सचिव/सचिव द्वारा प्रभारी मंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। अत्यन्त महत्वपूर्ण मामलों से संबंधित पत्रों की प्रतिलिपि तैयार करा कर, उन्हें प्रधान सचिव/सचिव द्वारा मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री और राज्यपाल को भी अवलोकनार्थ भेजा जायेगा।"

7) उक्त नियमावली की तृतीय अनुसूची में निम्न रूप में संशोधन करते हुए प्रतिस्थापित किया जाता है :–

(i) कार्यपालिका नियमावली की तृतीय अनुसूची के मद संख्या–22 के नीचे अंकित टिप्पणी को संशोधित कर निम्न प्रकार से प्रतिस्थापित किया जाता है :–

टिप्पणी – प्रशासी विभाग, ऐसे सभी अस्थायी पदों को कार्मिक विभाग तथा वित्त विभाग की सहमति प्राप्त कर स्थाई कर सकेगा जो पिछले 5 (पांच) वर्षों से लगातार अवधि विस्तारित होते रहे हैं और जिनके भविष्य में भी बने रहने की पूर्ण संभावना है। पांच वर्षों से कम अवधि वाले अस्थाई पदों तथा पांच वर्ष एवं उससे अधिक की अवधि से चले आ रहे ऐसे अन्य अस्थाई पदों (राजपत्रित पदों सहित), जिन्हें किसी कारणवश स्थाई नहीं किया जा सका है, का अवधि विस्तार प्रशासी विभाग, आन्तरिक वित्तीय सलाहकार का परामर्श प्राप्त कर, अपने स्तर से कर सकेगा, बशर्ते कि इसके लिये बजट प्रावधान उपलब्ध हो।

(ii) बिहार कार्यपालिका नियमावली की तृतीय अनुसूची के मद संख्या–31 को निम्न प्रकार से प्रतिस्थापित किया जाता है :–

मद संख्या–31– राज्य की आकस्मिकता निधि से 1,00,00,000 (एक करोड़ रूपये) से अधिक अग्रिम के लिये प्राधिकृत करने का प्रस्ताव।

(iii) कार्यपालिका नियमावली की तृतीय अनुसूची के मद संख्या–35 टिप्पणी (iii) के प्रावधान को निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाता है :–

मद संख्या–35

टिप्पणी – मंत्रिपरिषद् अथवा सक्षम प्राधिकार द्वारा अनुमोदित योजनाओं के कार्यान्वयन के क्रम में यदि यह पाया जाता है कि किसी स्वीकृत योजना के मूल प्राक्कलन में 20 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि संभावित है, तो ऐसी योजना के पुनरीक्षित प्राक्कलन में, विहित प्रकिया का अनुपालन करते हुए, मंत्रिपरिषद् अथवा सक्षम प्राधिकार का पुनः अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा।

8) अधिसूचना की कंडिका (1) में उल्लिखित विभागों के पुनर्गठन संबंधी कार्यपालिका नियमावली में संशोधन दिनांक–01 अप्रील, 2007 से लागू होंगे। अधिसूचना के शेष अंश तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(गिरीश शंकर)
सरकार के सचिव

प्रथम अनुसूची

क्रमांक	पुनर्गठित विभाग
01.	मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग
02.	संसदीय कार्य विभाग
03.	निगरानी विभाग
04.	निर्वाचन विभाग
05.	गृह विभाग
06.	आपदा प्रबंधन विभाग
07.	कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग
08	वित्त विभाग
09.	वाणिज्य कर विभाग
10	परिवहन विभाग
11.	निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग
12.	योजना एवं विकास विभाग
13.	ग्रामीण विकास विभाग
14.	पंचायती राज विभाग
15.	ग्रामीण कार्य विभाग
16.	नगर विकास एवं आवास विभाग
17.	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग
18.	पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग
19.	समाज कल्याण विभाग
20.	अल्प संख्यक कल्याण विभाग
21.	स्वास्थ्य विभाग
22.	मानव संसाधन विकास विभाग
23.	विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग
24.	सूचना प्रावैधिकी विभाग
25.	उद्योग विभाग
26.	गन्ना उद्योग विभाग
27.	खान एवं भूतत्व विभाग
28.	पर्यावरण एवं वन विभाग
29.	कृषि विभाग
30.	सहकारिता विभाग
31.	पशु एव मत्स्य संसाधन विभाग
32.	ऊर्जा विभाग
33.	जल ससाधन विभाग
34.	लघु जल संसाधन विभाग
35.	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग
36.	पथ निर्माण विभाग
37.	सूचना एवं जन संपर्क विभाग
38.	पर्यटन विभाग
39.	कला, संस्कृति एवं युवा विभाग
40.	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
41.	श्रम संसाधन विभाग
42	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
43.	विधि विभाग
44.	भवन निर्माण विभाग
कुल विभाग – 44	

34 लघु जल संसाधन विभाग

1. 2000 हेक्टेयर तक सिंचाई सुविधा उपलब्ध करनेवाली सभी प्रकार की सिंचाई योजनाओं,यथा, लघु सिंचाई योजना, उद्वह सिंचाई योजना, बराज उद्वह सिंचाई योजना, निजी एवं राजकीय नलकूप सिंचाई योजना आदि का सूत्रीकरण, गठन, निर्माण, संचालन एवं संधारण।
2. पारंपरिक सिंचाई योजनायें, यथा, आहर, पईन आदि का संचालन एवं संधारण।
3. भूगर्भ जल के न्यायोचित उपयोग का विनियमन।
4. भूगर्भ जल का पुनर्भरण (रीचार्ज)।
5. भूगर्भ/सतही जल संसाधनों का सर्वेक्षण।
6. भूगर्भ जल योजनाओं का विकास।
7. लघु सिंचाई योजनाओं के लिये पनवट कर का निर्धारण, वसूली और लेखा।
8. लघुसिंचाई योजनाओं का अनुसंधान, अनुश्रवण अन्वेषण, रुपांकन, योजना एवं निर्माण।
9. विभागीय पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों का नियन्त्रण।
10. विभाग के अधीन सभी भवनों का प्रशासनिक प्रभार।
11. बिहार राज्य जल विकास निगम तथा बिहार राज्य पहाड़ी क्षेत्र उद्वह सिंचाई निगम का नियंत्रण।